शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट – सराहनीय कार्य, दिनांक- 27.09.2024,
थाना बण्डा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 595/24 मे वांछित चल रहे अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशन में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय पुवायां जनपद शाहजहाँपुर के पर्यवेक्षण में चलाये जा रहे अभियान तलाश वांछित/वारन्टी अपराधी व रोकथाम अवैध शराब/शस्त्र बिक्री-निर्माण एवं चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति-वाहन व रोकथाम जुर्म जरायम/गश्त के दौरान दिनाँक 27.09.2024 को थाना बण्डा पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई ।

दिनांक 06.09.2024 को थाना बण्डा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-595/2024 धारा 108 बीएनएस बनाम अरविन्द दीक्षित पुत्र रामकुमार दीक्षित निवासी जनता रोड कस्बा व थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर, जिसकी विवेचना निरीक्षक सर्वेश कुमार शुक्ला द्वारा सम्पादित की जा रही है। प्रकरण की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए उच्चाधिकारीगण द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में उपरोक्त अभियुक्तगण की अतिशीघ्र गिरफ्तारी हेतु एक टीम का गठन किया गया। जिसके टीम प्रभारी, श्री राकेश कुमार मौर्य प्रभारी निरीक्षक बण्डा थे। इसी क्रम में आज दिनांक-27.09.2024 को निरीक्षक सर्वेश कुमार शुक्ला मय हमराही कर्म0गण के देखरेख शान्ति/कानून व्यवस्था, चैंकिग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व तलाश वांछित अपराधी, रोडगश्त इलाका थाना क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर की सूचना/निशादेही पर अरविन्द दीक्षित उपरोक्त को पडरिया दलेलपुर तिराहे के पास से समय करीब 09.35 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही के बाद अभियुक्त अरविन्द दीक्षित उपरोक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**
  1. अरविन्द दीक्षित पुत्र रामकुमार दीक्षित निवासी जनता रोड कस्बा व थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर,
- **पंजीकृत अभियोग का विवरण-**
  1. मु0अ0सं0-595/25 धारा 108 बीएनएस बनाम अरविन्द दीक्षित, थाना बण्डा शाह0पुर,

पूछताछ का विवरण-

अरविन्द दीक्षित पुत्र रामकुमार दीक्षित निवासी जनता रोड कस्बा व थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर, उम्र करीब 35 वर्ष ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए बताया कि साहब मेरी शादी अब से करीब 12 वर्ष पूर्व ग्राम मोहद्दीनपुर थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर की रहने वाली पारूल पुत्री अरविन्द अवस्थी के साथ हुई थी। मेरे बच्चे है, मेरी ससुराल ग्राम मोहद्दीनपुर में ही है। जहाँ पर मेरा ससुराल में आना जाना लगा रहता था। ससुराल आने जाने में ही मेरी मुलाकात स्वाति पाण्डेय पुत्री स्व0 श्री भगवान पाण्डेय नि0ग्राम मोहउद्दीनपुर थाना बण्डा जिला शाहजहाँपुर से करीब 03 वर्ष पूर्व हो गयी थी, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे। स्वाति पाण्डेय मुझसे शादी करना चाहती थी, जिसके लिए मैं भी तैयार था परन्तु मेरी पत्नी दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी, इस कारण मैं स्वाति पाण्डेय से शादी नहीं कर सका, परन्तु स्वाति पाण्डेय मुझ पर शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी, एक दिन जब स्वाति पाण्डेय ने मुझ पर शादी करने के लिए दबाव बनाया तब मैनें गुस्से में आकर स्वाति पाण्डेय से कहा कि तुम कहीं मर क्यों नहीं जाती हो मैं तुमसे शादी नहीं करूगां । मुझे लगता है कि यह बात स्वाति को लग गयी, इसीलिए स्वाति ने दिनांक 05.09.2024 को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मैं अपने मोबाइल नम्बर 8726410968 से स्वाति पाण्डेय के मोबाइल नम्बर 8511144606 पर बात किया करता था, मुझे जहाँ तक याद है कि मेरी

अन्तिम बार दिनांक 30.08.2024 को स्वाति पाण्डेय से बात हुई थी, मुझसे गलती हो गयी, मुझे माफ कर दे। आज मैं थाना बण्डा क्षेत्र में मेरे खिलाफ पंजीकृत मुकदमे के बारे में जानकारी करने के लिये आया था कि आपने मुझे पकड लिया।

➢ गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. श्री राकेश कुमार मौर्य, प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
2. निरी0 सर्वेश कुमार शुक्ला, थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
3. मु0आ0 297 मिनहाज अहमद, थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,
4. मु0आ0 470 चन्द्रहास थाना बण्डा जनपद शाहजहाँपुर,